राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण की ओर से	आलोच्य आदेश दिनांक
1.	2853/2025 नरेश कुमार स्वामी	प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	21.05.2025	श्री रामप्रताप सैनी अभिभाषक	18.05.2025 (अनुलग्नक–1)
2.	2854/2025 अजय कुमावत				17.05.2025 (अनुलग्नक–1)

आदेश की दिनांक : 09.06.2025

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2853/2025 नरेश कुमार स्वामी बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य। के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

2. मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, किशोरपुरा, अजीतगढ़, सीकर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाधीन, मुंडावर, जिला अलवर में दिनांक 13.09.2018 (अनुलग्नक–3) के द्वारा हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.03.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा वर्ष 2024–25 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु सूची जारी की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.05.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पस्थापित स्थान से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जीतला में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.05.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा आदेश दिनांक 17.05.2025 में संशोधन कर अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, छाजा की नांगल पाटन में पदस्थापित/स्थानांतरित किया गया। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाये आदेश जारी किया गया है। जिसके द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को उनके गृह जिले में पदस्थापित कर

दिया गया। जबकि अपीलार्थी को दूरस्थ स्थान पर स्थानान्तरण किया गया है, जो अनुचित एवं मनमाना है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत निकटवर्ती स्थान पर पदस्थापित किये जाने का निवेदन किया गया। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी की माता जी कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित है। जिनका निरन्तर ईलाज चल रहा है। उनकी देखभाल अपीलार्थी के द्वारा की जाती है। उनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा परिवार में अन्य कोई व्यक्ति है (अनुलग्नक–6)। माननीय उच्च न्यायालयमें दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 8749/2025 पूनमा राम (Poonma Ram) बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.04.2025 (अनुलग्नक–7) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.05.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावें एव प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को निरन्तर वरिष्ठ सहायक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, किशोरपुरा, अजीतगढ़, सीकर में कार्य करने दिया जावें तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वरिष्ठ सहायक के रिक्त पदों की पुनः काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित कर काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे पदों को भरने तथा सीकर के निकटवर्ती स्थान पर वरिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर अपीलार्थी को पुनः पद स्थापन स्थान आवंटित करने के निर्देश दिये जावे।

4. हमने अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के

लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

8. मूल आदेश अपील संख्या 2853/2025 नरेश कुमार स्वामी बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य। की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य